न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R-2675-PBR/14 (111)

ओमप्रकाश पिता बाबूलाल जाति जायसवाल उम्र 55 वर्ष

ग्राम पडुनीखुर्द तह0 सरदारपुर जिला धार

.........................निगरानीकर्ता

बनाम

मूलचंद पिता रामा जाति तेली उम्र 58 वर्ष

निवासी ग्राम बरमण्डल तह0 सरदारपुर जिला धार

.................................विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि विपक्षी ने छलयुक्त कोई अर्जी उसकी भूमि और निगरानीकर्ता की भूमि के बीच स्थायी मेढ है जो पुरखो के समय की है स्वयं विपक्षी ने वह मेढ पारकर छलयुक्त निगरानीकर्ता की निजी भूमि में जो पडोसी काश्तकार है प्रवेश की दृष्टि से छलयुक्त कोई अर्जी दी धारा 129 भूरासं की जिसकी कोई सूचना मुझ पडोसी काश्तकार को नही दी गई जबकि विधि में स्पष्ट है कि पडोसी काश्तकार को सूचना लाजमी है आज्ञापक है उसका पालन नही किया और मेरे बारे में असत्य उल्लेख किया जबकि मुझे कोई व्यक्तिगत सूचना नही है मिनारा उठाने का स्थान भी नही है अडोसी पडोसी काश्तकार को कोई सूचना नही है उनकी गैर मोजुदगी में छलयुक्त कार्यवाही की है जबकि व्यक्तिगत सूचना लाजमी है इस संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 21/2013–14/अ–12 में दिनांक 25.05.2014 को जो छलयुक्त प्रतिवेदन बनाया गया है एवं पंचनामा बनाया है वह सही नही है धारा 124 से 129 भूरासं के नियम उपनियम का पालन नही है अतः सारी कार्यवाही विचाराधिकार रहित है छल लिये हुए है जो दिनांक 25.05.2014 की है व प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2014 का है जिसकी अपात्ती बाबद यह निगरानी पेश है नकल की अर्जी मालूम होने पर दिनांक 13.06.2014 को व नकल दिनांक 16.06.2014 को मिली है अतः जानकारी के बीच की अवधि व नकल की अवधि मुजरा जाते यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत प्रस्तुत हैं :–

R 2675-PBR/14 [illegible]

19.9.2017 DD [illegible] 21/6	आवेदक की ओर से सूचना अपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं आता। प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। [illegible] अध्यक्ष

रा.प्र.पुस्त—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.